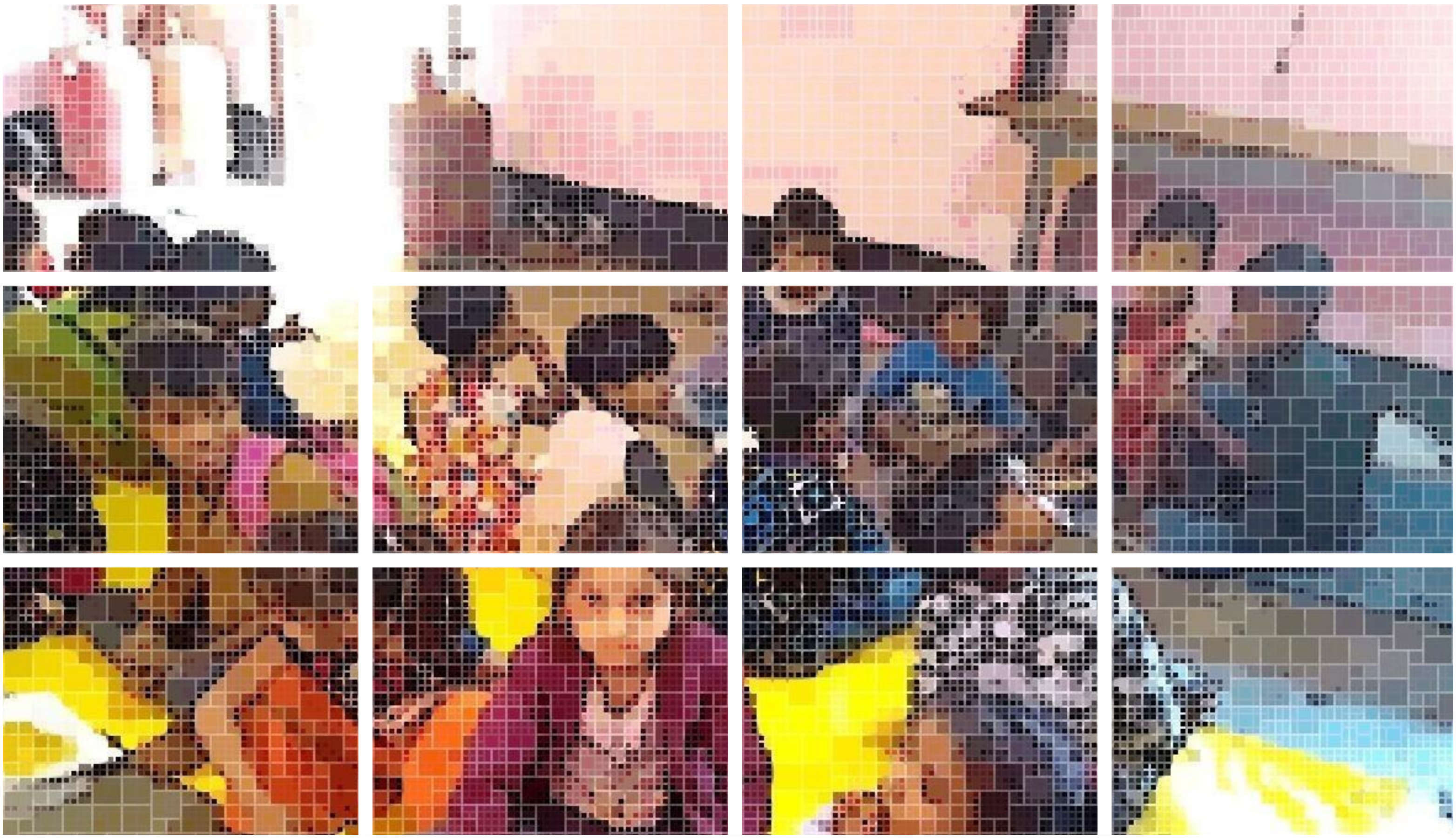

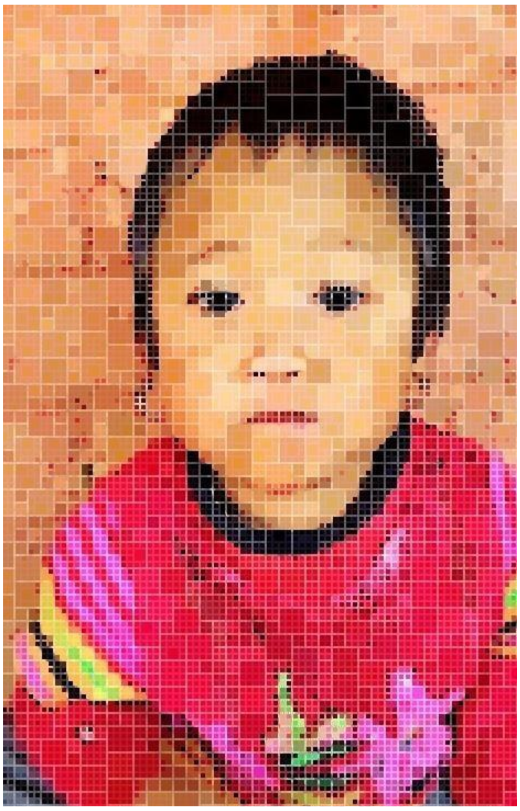

सत्यमेव जयते

NCPCR

QCI

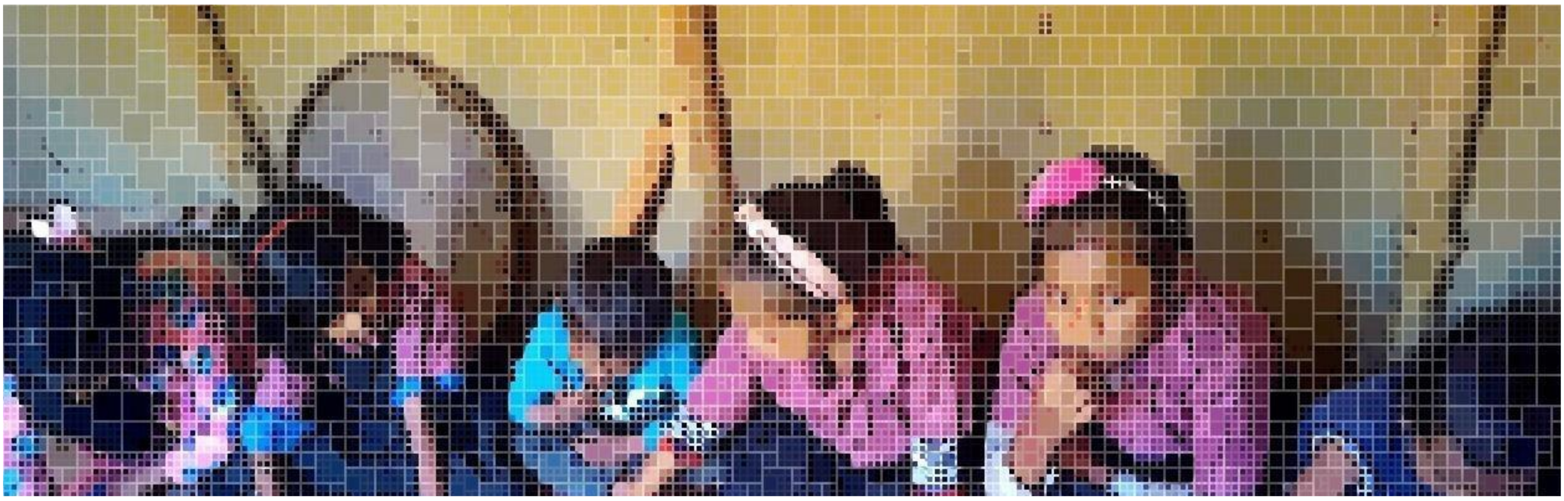

स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की प्रभावकारिता के बारे में अध्ययन

प्रस्तावना

राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत की गई जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग करें और उनका विकास मुक्त और स्वतंत्र माहौल में हो। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 138 के अंतर्गत यह आदेश दिया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिकारों की जांच की जाए और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाए तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश की जाए। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण कि अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में, आयोग ने भारत में समान, समावेशी कोमा गुणवत्ता युक्त और सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए कई पहले की हैं।

उपर्युक्त के मद्देनजर, एनसीपीसीआर में एनसीएलपी बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की प्रभाव कारिता निर्धारित करने हेतु पहल की। एनसीएलपी स्कीम का उद्देश्य खतरनाक व्यवसाय और उद्योगों में काम करने वाले बच्चों का पुनर्वास करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं जो इन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और स्कूली प्रणाली में उनको जोड़ने के लिए उनको तैयार करते हैं।

एनसीपीपीसीआर ने विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की प्रभाव कारिता और एनसीएलपी बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए देशभर के 8 राज्यों के 16 जिलों में अनुसंधान अध्ययन किया। यह रिपोर्ट 8 राज्यों के विभिन्न जिलों के याद रक्षित रूप से चुनिंदा विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में व्यापक अनुसंधान और फील्ड कार्य का परिणाम है। सर्वेक्षण से पहले चार विभिन्न एसटीसी में हरियाणा में एक पायलट परियोजना चलाई गई।

इस रिपोर्ट में एनसीएलपी स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति की परिमाणात्मक गुणात्मक विश्लेषण प्रदर्शित किया गया है। इस रिपोर्ट में एक भरोसेमंद और व्यापक आंकड़ा प्रदान किया गया है जो एनसीएलपी बच्चों की पहचान करने और उन को मुख्यधारा में शामिल करने की विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल सभी हित धारकों हेतु महत्वपूर्ण अनुशंसाएं प्राप्त हुई है। विशेष रूप से इस रिपोर्ट का उद्देश्य न केवल समस्या की गंभीरता का मूल्यांकन करना है बल्कि जिम्मेदार कारकों को चिन्हित करना भी है जो इसके पूर्ण कार्यान्वयन में बाधक हैं। यह नीतिगत उपायों की प्रगति की मॉनिटरिंग करने के लिए उपयोगी होगा तथा नीति निर्माण में मूल्यांकन और विश्लेषण भी प्रदान करेगा।

मैं श्री आदिल जैनुलबाई, अध्यक्ष, भारतीय गुणवत्ता परिषद, डॉ. आर. पी. सिंह, महासचिव, क्यूसीआई,

सुश्री मधु आहलुवालिया, वरिष्ठ सलाहकार, क्यूसीआई और उनकी टीम को यह अध्ययन करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

यह रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के प्रशासनिक सहायोग के बिना संभव नहीं होता। मैं इस अवसर पर राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, स्थानीय समुदायों, परियोजना निदेशकों, शिक्षकों/स्वयंसेवियों/प्रबंधकों, सिविल सोसाइटी समूहों, शिक्षाविदों और प्रवर्तन एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को अपने-अपने क्षेत्रों में अध्ययन करने में एनसीपीसीआर को सहयोग और सूचना देने के लिए आभार प्रकट करते हैं।यह सभी हितधारकों के उत्कृष्ट प्रयासों का ही परिणाम है कि आयोग देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में बच्चों और हितधारकों तक पहुंच सका।

यह अध्ययन सदस्य सचिव, सुश्री रुपाली बनर्जी सिंह की प्रशासनिक सहायता के बिना संभव नहीं होता। मैं डॉ. (सुश्री) मधुलिका शर्मा, सलाहकार (शिक्षा/पीपी एवं आर सेल) को सभी चरणों में अध्ययन की मॉनिटरिंग में सहयोग एवं सूचना प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं श्री कुमार पुरुषोत्तम, वरिष्ठ परामर्शदाता (शिक्षा/पीपीएवं आर सेल) के प्रति भी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूं।

मैं आशा करता हूं कि यह रिपोर्ट रेस्क्यू किए गए बच्चों को स्कूलों की मुख्यधारा में शामिल करने की वर्तमान प्रक्रिया को बेहतर करने हेतु सूचना प्रदान करेगी। रिपोर्ट के तथ्यों का उपयोग वंचित बच्चों और बाल श्रम से रेस्क्यू किए गए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक रोडमैप बनाने में किया जा सकता है।

प्रियंका कानूनगो,

अध्यक्ष,

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(एनसीपीसीआर)

कार्यकारी सारांश

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 5-14 वर्ष के आयु समुह में कुल बच्चों की जनसंख्या 259.6 मिलियन है। इनमें से 10.1 मिलियन (कुल बच्चों की जनसंख्या का 3.9 प्रतिशत) मुख्य कामगार के रूप में या सीमांत कामगार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में 42.7 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ये बच्चे खराब पारिवारिक स्थितियों यथा गरीबी, निरक्षरता, अनियमित आय, आर्थिक संकट आदि के कारण कम आयु में ही काम करने के लिए बाध्य है जिसके कारण वे शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से चूक जाते हैं। कम आयु में शिक्षा की कमी से वे कार्य करने के अवसर के लिए अक्षम हो जाते हैं और वयस्क के रूप में गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं जी पाते हैं जिससे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और विकास धीमा हो जाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने खतरनाक व्यवसाय और उद्योगों में कार्य कर रहे बच्चों का पुनर्वास करने के लिए वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) शुरू की। इस स्कीम के अंतर्गत, देशभर में बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। ये विशेष प्रशिक्षण केंद्र इन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और उनको स्कूली प्रणाली में शामिल करने के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

भारतीय गुणवता परिषद क्यूसीआई ने स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को मुख्यधारा में लाने तथा विभिन्न हित धारकों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करने में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की प्रभाव कारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में इन विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान की गई शैक्षणिक सुविधाओं की गुणवत्ता की सूचना भी संग्रह की गई। इस अध्ययन में तीन भाग हैं डाटा का संग्रहण (अर्थात विशेष प्रशिक्षण केंद्रों से संबंधित सूचना, एसटीसी में शैक्षिक सुविधाओं की समीक्षा और इस संक्रमण अवधि के दौरान ड्रॉपआउट के इस अध्ययन के लिए संबंधित हितधारक (परियोजना निदेशक शिक्षक छात्र आदि) के साथ साक्षात्कार।

इस अध्ययन के भाग के रूप में, 8 राज्यों: असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 16 जिलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में फील्ड मूल्यांकन किए गए। चार विभिन्न एसटीसी में गुड़गांव, हरियाणा में भी एक प्रौद्योगिक अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि कई एसटीसी चुनिंदा राज्यों में अभी भी कार्यशील नहीं है, अर्थात आंध्र प्रदेश में 41 एसटीसी और तिमलनाडु में 11 एसटीसी कार्यशील नहीं है।

यह पाया गया है कि बिहार के 90 प्रतिशत एसटीसी में शौचालय की सुविधा नहीं है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश में सभी एसटीसी एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं। तमिलनाडु में 28 प्रतिशत एसटीसी एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं जबकि उनमें से 72 प्रतिशत परियोजना सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 80 प्रतिशत एसटीसी एनजीओ द्वारा और केवल 20 प्रतिशत

एसटीसी परियोजना सोसाइटी द्वारा चालाए जाते हैं। इस अध्ययन में यह भी खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों से ड्रॉप आउट बच्चों का सर्वाधिक अनुपात (98%) है।

जब कभी एनसीईआरटी दिशानिर्देशों द्वारा सुझाए गए अनुसार किसी बच्चे का नामांकन किया जाता है, छात्र के सीखने के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रवेश-स्तरीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह पाया गया है कि तमिलनाडु और पंजाब में प्रवेश स्तरीय मूल्यांकन करने के तरीके हैं। मध्य प्रदेश में, 70 प्रतिशत एसटीसी में प्रत्येक छह माह में प्रवेश स्तरीय मूल्यांकन किया गया। असम में, 55 प्रतिशत एसटीसी में प्रत्येक छह माह में प्रवेश स्तरीय मूल्यांकन किया गया और बिहार के 40 प्रतिशत एसटीसी में कोई प्रवेश स्तरीय मूल्यांकन नहीं किया गया। महाराष्ट्र के अधिकतर एसटीसी में प्रवेश स्तरीय मूल्यांकन करने के भिन्न तरीके हैं।

यह देखा गया है कि बिहार के केवल 10 प्रतिशत और असम में 40 प्रतिशत एसटीसी का निरीक्षण केंद्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब के सभी एसटीसी का दौरान प्रत्येक तिमाही में जिला परियोजना सोसाइटी द्वारा किया गया। बिहार के 70 प्रतिशत एसटीसी में कोई दौरा नहीं हुआ जबकि 30 प्रतिशत एसटीसी में जिला परियोजना सोसाइटी का दौरा हुआ। मध्य प्रदेश के 90 प्रतिशत एसटीसी में तिमाही रूप से दौरा हुआ और 10 प्रतिशत एसटीसी का प्रत्येक छह माह में दौरा हुआ। माहराष्ट्र में 93 प्रतिशत एसटीसी में जिला परियोजना सोसाइटी का दौरा हुआ।

यह अध्ययन विभिन्न मानदंडों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए सिफारिशों के साथ समाप्त हुआ जिसका उद्देश्य भारत की राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार को एसटीसी को प्रभावी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता करना था।

विषय सूची

1. प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि 7

1.2 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) 8

1.3 भारतीय गुणवत्ता परिषद 9

1.4 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) 9

1.5 बच्चों को चिन्हित करना और उनको मोबिलाइज करना 10

2. दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

3. निष्कर्ष

3.1 द्वितीयक अनुसंधान 18

3.2 प्राथमिक अनुसंधान 32

4. **निष्कर्ष और टिप्पणियां** 55

5. **अनुशंसाएं** 57

संक्षिप्त रूप

एनसीपीसीआर	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एनसीएलपी	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
एनएबीईटी	राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड
क्यूसीआई	भारत गुणवत्ता परिषद
एमओएलई	श्रम तथा रोजगार मंत्रालय
एमडीएम	मध्याह्न भोजन
एसटीसी	विशेष प्रशिक्षण केंद्र
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
आरटीई	शिक्षा का अधिकार अधिनियम
एनआरएसटीसी	गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र
आरएसटीसी	आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र
ओओएससी	स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे
एचएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद

तालिकाओं की सूची

तालिका 1 फील्ड दौरे के लिए जिले की सूची

तालिका 2 सर्वेक्षण के नमूना आकार का विवरण – प्रत्येक राज्य में मूल्यांकन किए गए एसटीसी की कुल संख्या और प्रत्येक श्रेणी के लिए प्राप्त उत्तर की संख्या

आंकडों की संख्या

आंकड़ा 1 से आंकड़ा 38	द्वितीय आंकड़ा विश्लेषण

ग्राफ की सूची

ग्राफ 1	विशेष प्रशिक्षण केंद्र की स्थिति
ग्राफ 2	कंक्रीट/कच्ची छत की उपलब्धता
ग्राफ 3	दीवार की उपलब्धता
ग्राफ 4	विद्युत की उपलब्धता
ग्राफ 5	वेंटिलेशन की उपलब्धता
ग्राफ 6	शौचालय की उपलब्धता
ग्राफ 7	पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय की उपलब्धता
ग्राफ 8	मध्याह्न भोजन की उपलब्धता
ग्राफ 9	सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता
ग्राफ 10	स्वास्थ्य किट की उपलब्धता
ग्राफ 11	एनजीओ/परियोजना सोसाइटी द्वारा चलाए गए विशेष प्रशिक्षण केंद्र
ग्राफ 12	एनजीओ के चयन की प्रक्रिया
ग्राफ 13	चुनिंदा एनजीओ के लिए प्रशिक्षण/ओरियन्टेशन कार्यक्रम
ग्राफ 14	अंतिम बेसलाइन सर्वेक्षण रिकॉर्ड
ग्राफ 15	चिन्ड्रन ड्रॉप आउट
ग्राफ 16	चिन्ड्रन मेनस्ट्रीम
ग्राफ 17	पीटीएम की बारंबारता
ग्राफ 18	पीटीएम के रिकॉर्ड का रखरखाव
ग्राफ 19	शिक्षक शिक्षा योग्यता
ग्राफ 20	शिक्षक प्रशिक्षण की बारंबारता
ग्राफ 21	शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संगठन प्राधिकरण/एजेंसी
ग्राफ 22	वेतन संवितरण में विलंब
ग्राफ 23	एसटीसी में प्रवेश स्तरीय मूल्यांकन की बारंबारता
ग्राफ 24	एसटीसी में आवधिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की बारंबारता
ग्राफ 25	मुख्यधारा में शामिल होने के बाद छात्रों का पता रखने के लिए तंत्र
ग्राफ 26	एसएलएसएम प्रदान करने वाला संगठन
ग्राफ 27	एसएलएसएम का वितरण
ग्राफ 28	भारत सरकार द्वारा दौरे की बारंबारता
ग्राफ 29	भारत सरकार द्वारा दौरे की बारंबारता
ग्राफ 30	राज्य सरकार द्वारा दौरे की बारंबारता
ग्राफ 31	जिला परियोजना सोसाइटी द्वारा दौरे की बारंबारता
ग्राफ 32	भाषा कौशल पांचवी कक्षा (स्तर-I)
ग्राफ 33	गणित कौशल
ग्राफ 34	भाषा कौशल पांचवी कक्षा (स्तर-I)
ग्राफ 35	भाषा कौशल तीसरी कक्षा (स्तर-I)
ग्राफ 36	गणित कौशल

ग्राफ 37 भाषा कौशल तीसरी कक्षा (स्तर-I)

1. प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

जनगणना 2011 के अनुसार, हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चे हैं। 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कुल जनसंख्या का 29 प्रतिशत हैं और 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत हैं। बच्चे का स्वाभावित स्थान स्कूल और खेल के मैदान में है; तथापि कई बच्चे दुर्भाग्यवश बाल्यावस्था में इन बुनियादी विकास अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसके बजाय उन पर गरीबी, परिवार की अनियमित आय, आर्थिक संकट, अज्ञानता, सामाजिक सुरक्षा की अनुपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, खाद्य सुरक्षा की कमी आदि के कारण कार्य के बोझ के तले दब जाते हैं। आईएसओ द्वारा तैयार की गई बाल श्रम संबंधी 2013 की विश्व रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बाल श्रम की वयस्कावस्था के दौरान कामगारों की उत्पादक क्षमता कम हो जाती है और इस प्रकार राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति रुक जाती है और गरीबी कम करने के प्रयास कम पड़ जाते हैं।

सुविधावंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम, 2009, जिसे शिक्षा का अधिनियम भी कहा जाता है, वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसमें विशेष प्रशिक्षण के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान है (अध्याय II, पैराग्राफ 4)। इसमें छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर ध्यान दिया जाता है जो अभी तक स्कूल में नामांकित नहीं हुए हैं या जिन्होंने नामांकित होने के बावजूद, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है। विशेष प्रशिक्षण एक आवश्यक कदम है जो इन बच्चों के अपने हम उम्र साथियों के बराबर लाकर समुचित आयु श्रेणी में नामांकित करने में मदद करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, धारा 4, अध्याय II में राज्य और स्थानीय सरकार

द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली में स्कूल से बाहर के बच्चों को जोड़ना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, जब बच्चा औपचारिक स्कूल में प्रवेश करता है तो शिक्षक को छात्र को अतिरिक्त ध्यान देते रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि बच्चे का बौद्धिक और भावनात्मक एकीकरण शेष कक्षा के साथ उत्कृष्ट कोटि का है।

शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 4 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सुझाव के तौर पर दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों ने इस प्रावधान को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए अपनी प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम वर्ष 1988 में आरंभ की गई जिसका उद्देश्य बाल श्रम का पुनर्वासहै।इस परियोजना के अंतर्गत, बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए विशेष स्कूल/पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए ताकि उनको औपचारिक स्कूली प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। ये केंद्र अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण और रोजगार से बाहर आए बच्चों को स्टाइपेंड प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए, क्यूसीआई ने इन विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने हेतु एनसीपीसीआर द्वारा यथा अधिदेशित अध्ययन किया।

1.2 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) was created under the Commissions for Protection of Child Rights (CPCR) Act, 2005, to ensure that children enjoy their rights and develop in a free and fair environment. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 13 में आयोग को कतिपय कार्य सौंपे गए हैं जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हो।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में समुचित सरकारों को आदेश दिया गया है कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 8 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा पूरी करने हेतु उपयुक्त वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 4 में स्कूल के बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित हो कि वह शैक्षणिक रूप से अपने आयु समूह के अन्य बच्चों के बराबर हैं। यह देश में करोड़ों बच्चों को प्रभावित करता है। इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 के अंतर्गत एनसीपीसीआर को इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करने का अधिदेश दिया गया है। इन कार्यों को पूरा करने और लक्षित अनुशंसाओं का सुझाव देने के लिए भरोसेमंद

प्रामाणिक आंकड़ों का उपलब्ध होना आवश्यक है जिसके बिना प्रभावी मॉनिटरिंग और समीक्षा संभव नहीं है।

इसके परिणाम स्वरूप एनसीपीसीआर और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने एनसीएलपी की प्रभाव कारिता निर्धारित करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय गुणवत्ता परिषद

भारत सरकार ने तीन प्रमुख उद्योग संघों: एसोचैम, सीआईआई, और फिक्की के प्रतिनिधित्व से मिलकर बने भारतीय उद्योग के साथ मिलकर भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना वर्ष 1997 में की। क्यूसीआई कार्यशील राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना स्थापित करके राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत एक स्वायत्त अलाभकारी संगठन है। क्यूसीआई के वर्तमान अध्यक्ष श्री आदिल जैनुलभाई को माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नामित किया गया।

मिशन "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुणवत्ता" को ध्यान में रखते हुए, यह परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक क्षेत्रों, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और भारत के नागरिकों की जीवन को गुणवत्ता और सुरक्षा बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण अन्य संगठित क्रियाकलापों के क्षेत्रों सहित सभी महत्वपूर्ण कार्यकलाप क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों का प्रचार-प्रसार करने, उनको अपनाने और उनका अनुपालन करने में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिका निभा रही है।

QUALITY COUNCIL® OF INDIA
Creating an Ecosystem for Quality

RTE Section 4 Paragraph II

Where a child above six years of age has not been admitted in any school or though admitted, could no complete his or her elementary education, then, he or she shall be admitted in a class appropriate to his other age.

Provided that where a child is directly admitted in a class appropriate to his or her age, then, he or she shall, in order to be at par with others, have a right to receive special training, in such a manner, and within such time-limits, as may be prescribed:

Provided further that a child so admitted to elementary education shall be entitled to free education till completion of elementary education even after fourteen years. Provided further that a child so admitted to elementary education shall be entitled to free education till completion of elementary education even after fourteen years.

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी)

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम वर्ष 1988 में बाल श्रम के पुनर्वास के उद्देश्य से आरंभ की गई। इस स्कीम का उद्देश्य खतरनाक पैसे और प्रक्रियाओं में काम कर रहे बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देते हुए एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है।

इस स्कीम के अंतर्गत, जिले या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में लगे

बच्चों का सर्वेक्षण किया जाता है;

उसके बाद 9 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को इन पैसे और प्रक्रियाओं से बाहर निकाला जाता है और एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में डाला जाता है। विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में इन बालकों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जैसे कि ब्रिज एंड्रेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्यान भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजन आदि। इसका उद्देश्य उनको शिक्षा की औपचारिक प्रणाली में शामिल करने के लिए उनको तैयार करना है।

एनसीएलपी का उद्देश्य है (i) सभी प्रकार के बाल श्रम को दूर करना (ii) खतरनाक पेशे/प्रक्रियाओं से सभी किशोर कामगारों को बाहर निकालने तथा समुचित पेशे में उनका कौशल संवर्धन तथा एकीकरण करने में योगदान देना (iii) हितधारकों और लक्षित समुदायों में जागरूकता बढ़ाना तथा 'बालश्रम' के मुद्दे पर एनसीएलपी और अन्य कार्मिकों को अवगत करना तथा किशोर कामगारों को खतरनाक पेश/प्रक्रियाओं से बाहर निकालने के बारे में जागरूक करना; (iv) बालश्रम मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली का सृजन।

एनसीएलपी स्कीम का फोकस निम्नलिखित पर है:

- चिन्हित लक्षित क्षेत्र में 14 वर्ष की आयु से कम के सभी बाल कामगार।
- खतरनाक पेशे/प्रक्रियाओं में लगे लक्षित क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के किशोर कामगार।
- चिह्नित लक्षित क्षेत्रों में बाल कामगारों के परिवार।

इस परियोजना का समग्र दृष्टिकोण लक्षित क्षेत्र में एक सामर्थ्यकारी वातावरा तैयार करना है जहां बच्चों को स्कूलों में नामांकित होने और काम से दूर रखने के लिए विभिन्न उपायों से अभिप्रेरित और सशक्त किया जाता है तथा परिवारों को अपनी आय बढ़ाने के लिए विकल्प प्रदान किए जाते हैं।

एनसीएलपी स्कीम को राज्य, जिला प्रशासन और सिविल सोसाइटी के गहन समन्वय से कार्यान्वित किया जाता है। बाल श्रम का उन्मूलन श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। अन्य हितधारकों यथा जिला प्रशासन, स्थानीय समुदाय, सिविल सोसाइटी समूह, एनजीओ, शिक्षाविद और प्रवर्तन एजेंसियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

इस स्कीम का उद्देश्य न केवल कार्यान्वयन संरचना स्थापित करना है बल्कि स्कीम के प्रभावी कार्यकरण के लिए मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण को संस्थागत रूप देना भी है।

परियोजना का कार्यान्वयन, एनसीएलपी स्कीम के लिए स्थापित समर्पित जिला परियोजना सोसाइटी द्वारा निजी स्तर पर किया जाता है। एनसीएलपी सोसाइटी को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और यह जिले के प्रशासनिक प्रमुख अर्थात जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में कार्य करता है।

1.5 बच्चों की पहचान करना और उनको मोबिलाइज करना

बच्चों को दो चरण में पहचाना जाता है और मोबिलाइज किया जाता है। इसका ब्यौरा नीचे है: --

क. खतरनाक पेशे में कार्य कर रहे बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करके;

ख. 9 - 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की पहचान की जाती है तथा उनको एनसीएलपी के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाता है।

1.6 विशेष प्रशिक्षण केंद्र

विशेष प्रशिक्षण केंद्र एक समयबद्ध पहल है जो बच्चों को स्कूली प्रणाली में शामिल होने के लिए बौद्धिक और भावनात्मक रूप से मदद करती है। यह समान क्षमताओं के साथ आयु-उपयुक्त नामांकन को सुगमबनाकर प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना भी सुनिश्चित करती है।

1.6.1 एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्र

एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को काम से बाहर निकाला जाता है तथा एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में डाला जाता है जहां उनको औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यधारा में शामिल करने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मध्याह्न भोजन, स्टाइपेंड, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान की जाती है।

1.6.2 विशेष प्रशिक्षण की अवधि

मानदंडों के अनुसार, विशेष प्रशिक्षण कम से कम तीन माह का और दो वर्ष तक होना चाहिए। प्रवेश स्तरीय मूल्यांकन विशेष प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, विशेष प्रिशक्षण केंद्र में बिताए गए समय के आधार पर बच्चों को समुचित कक्षा में शामिल किया जाता है।

1.6.3 विशेष प्रशिक्षण में शामिल शैक्षिक प्रक्रियाएं

प्रवेश स्तरीय मूल्यांकन: प्रवेश स्तरीय मूल्यांकन तब किया जाता है जब बच्चा एसटीसी में प्रवेश करता है। यह प्राय: बच्चों का ज्ञान और सक्षमता निर्धारित करने के लिए लिखित या मौखिक रूप में किया जाता है। बच्चे का ग्रेड/स्तर, उसका प्रवेश स्तरीय मूल्यांकन में कार्य निष्पादन द्वारा निर्धारित होता है।

विशेष शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करना और उसका वितरण: ये विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री होती है जिसमें पाठ्यक्रम का बोझ कम रखा जाता है और छात्रों को आयु-उपयुक्त कौशल विकसित करने का अवसर दिया जाता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एसएलएसएम चलाती है जिनका वितरण जिला/ब्लॉक अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

प्रधानाध्यापक और शिक्षक/शिक्षा स्वयंसेवियों का प्रशिक्षण: शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जिला संस्थान/जिला संसाधन यूनिट/ब्लॉक संसाधन समन्वयक/क्लस्टर संसाधन समन्वयक प्रधानाध्यापक और शिक्षक/शिक्षा स्वयंसेवी प्रशिक्षण के लिए आयोजक हैं।

प्रशिक्षण के प्रमुख फोकस में आरटीई के प्रावधान स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान किए जाने, उनकी ट्रेकिंग और उनको मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया आदि शामिल हैं। प्रशिक्षण की अवधि 5 वर्ष है और बारंबारता 6 माह में एक बार है। प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री एनसीईआरटी/एसआईई और डीआईईटी द्वारा तैयार की जाती हैं तथा जिला अधिकारियों/ब्लॉक अधिकारियों द्वारा वितरित की जाती है।

1.7 स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना।

एनसीएलपी दिशानिर्देशों के अनुसार, एनसीएलपी स्कीम का मुख्य उद्देश्य कार्य से बाहर निकाले गए बच्चों को नियमित स्कूलों या व्यावसायिक संस्थानों में शामिल करना है और उसके उपरांत रोजगार की कानूनी आयु प्राप्त करने तक स्वीकार्य और उत्पादक कार्य में शामिल किया जाता है जो उनकी योग्यता और कौशल के अनुकूल हो। इसके पूर्व, स्कूलों में इन बच्चों का नामांकन, जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, आरक्षण पाठशाला, छात्रावास आदि के अंतर्गत, से इन बच्चों को उनकी मुख्यधारा में बनाए रखने में मदद मिलता है।

- जिला परियोजना सोसाइटी को अपने स्वयंसेवियों के माध्यम से मुख्यधारा में शामिल करने से संबंधित आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना चाहिए तथा उसके बाद से अगले वर्ष के लिए इसे अपडेट करना चाहिए।
- ट्रेकिंग आंकड़ों का अपडेट मेन्स्ट्रीमिंग के बाद तीन माह, छह माह और एक वर्ष के बाद किया जान चाहिए।

2. दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करने में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारतीय गुणवत्ता परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसका उद्देश्य निम्नलिखित पहलुओं की जांच करना है:

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, के अंतर्गत स्कूली प्रणाली में बच्चों को शामिल करने में एनसीएलपी के लाभ।
2. स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योगदान देने वाले कारक।
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, के संबंध में एनसीएलपी स्कीम की विशेषताएं।

2.1 द्वितीयक अनुसंधान

2.1.1 एसटीसी से संबंधित दस्तावेजों का विश्लेषण

एनएबीईटी-क्यूसीआईने साहित्य समीक्षा, विनियामक मानदंडों, रिपोर्टों, मामले के इतिहास, पद्धतियों से संबंधित सूचना और विभिन्न

मंत्रालयोंऔर राज्य सरकारों की पहलों तथा साथ ही एनसीपीसीआर द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े के माध्यम से द्वितीयक अनुसंधान किया जो मूल्यांकन हेतु प्रश्नावली तैयार करने के लिए एनसीएलपी स्कीमसे संबंधित था। एनसीएलपी दिशानिर्देशों का अध्ययन विस्तारपूर्वक किया गया ताकि विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के उद्देश्यों, और अधिदेश को समझा जा सके।

डाटा संग्रह करने के लिए 67 जिलों से संपर्क किया गया जिनमें से 38 जिलों ने द्वितीयक अनुसंधान के लिए अपने आंकड़े भेजे जबकि शेष 29 जिलों ने अपेक्षित आंकड़ा साझा नहीं किया।

एनएबीईटी क्यूसीआई ने एसटीसी की जमीनी स्थिति को समझने और प्रश्नावली के प्रारूप को आगे और सुदृढ़ करने के लिए एक जांच सूची बनाई। इस आंकड़े का विश्लेषण ब्यौरा निष्कर्ष वाले भाग को दिया गया है।

2.1.2 मुल्यांकन प्रश्नावली तैयार करना

व्यापक द्वितीयक अनुसंधान, मौजूदा स्कीम दिशानिर्देशों की सहित्य समीक्षा तथा विशेषज्ञों के इनपुट के माध्यम से, एसटीसी मूल्यांकन के भाग के रूप में संगत और पर्याप्त सूचना एकत्र करने हेतु एक समुचित मूल्यांकन प्रश्नावली तैयार की गई। चार हितधारकों के लिए प्रश्नावली तैयार की गई जिसका ब्यौरा चित्र 1 में दिया गया है।

निम्नलिखित घटकों को प्रश्नावली में शामिल किया गया है: -

1. एसटीसी स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन।

2. मुद्दों और चुनौतियों को समझने के लिए हितधारकों के साथ साक्षात्कार

3. प्रभावी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों का मूल्यांकन

2.2.2 नमूना तैयार करना

परियोजना का सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण और कठिन पहलू अध्ययन के लिए नमूना जिलों का चयन करना था। एनएबीईटी-क्यूसीआई टीम द्वारा जिला अधिकारियों के साथ बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई उनके जिलों में एसटीसी की स्थिति की जानकारी लेने तथा बच्चों की वर्तमान नामांकन स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए की गई। नमूना लेने के कार्य के भाग के रूप में, एनएबीईटी-क्यूसीआई टीम द्वारा 148 जिलों से संपर्क किया गया जिनमें से यह सूचित किया गया कि 66 जिलों के एसटीसी या तो कार्यशील नहीं था या विस्तार के लिए अनुमोदन की प्रतीक्षा थी। शेष 82 जिलों के साथ व्यापक अनुवर्ती कार्रवाई के बाद भी केवल 20 जिलों ने अपने संबंधित जिले में एसटीसी से संबंधित समेकित सूचना साझा किया। सर्वाधिक संभव भौगोलिक विस्तार के साथ अंतत: 167 जिलों का चयन किया गया और फील्ड मूल्यांकन

करने के लिए एसटीसी की अंतिम सूची तैयार करने हेतु यादृच्छिक नमूना तरीका का उपयोग किया गया।

Picture 1

Picture 2 (Pilot assessment in Gurgaon, Haryana)

2.2.3 एसटीसी में पायलट कार्य

राज्यों और एसटीसी के कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप देते ही, गुरुग्राम, हरियाणा में पायलट कार्य किया गया। एसटीसी का कार्यकरण समझने और प्रभावी तरीके से सर्वेक्षण प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए चार एसटीसी में पायलट कार्य किया गया। पायलट मूल्यांकन से प्राप्त निषकर्षों का उपयोग प्रश्नावली की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए किया गया।

एसटीसी शिक्षकों को प्रोत्साहन, पठन-पाठन की प्रक्रियाओं, मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया और छात्रों तथा शिक्षकों दोंनों द्वारा सामना की गई चुनौतियों के बारे में सामान्य स्कीम्स तैयार किए गए।

2.2.4 छात्रों के लिए कार्य निष्पादन मूल्यांकन

एसटीसी में पढ़ रहे छात्रों के शिक्षण स्तर का मूल्यांकन करने के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन जांच भी तैयार किए गए। ये जांच दो न्यूनतम स्तरों एसटीसी के स्तर I एवं स्तर II के लिए गणित और भाषा विषय में आयोजित किए गए। इन दो स्तरों का चयन यिका गया क्योंकि सर्वाधिक छात्र इन्हीं स्तरों के थे। प्रश्नों का चयन एसटीसी के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम दिशानिर्देशों के किया गया और बुनियादी शैक्षिक कौशल के अनुसार वर्गीकृत किया गया। जांच को अंतिम रूप देते ही, इसको हमारे इन्टरवेंशन राज्यों: असम (असमिया), आंध्र प्रदेश (तेलगू), बिहार (हिंदी), मध्य प्रदेश (हिंदी), महाराष्ट्र (मराठी), पंजाब (पंजाबी), तमिलनाडु (तमिल) तथा पश्चिम बंगाल (बंगाली) के राज्य शिक्षा बोर्डो द्वारा निर्धारित शिक्षा के माध्यम में अनुवाद किया गया।

इन जांचों को मूल्यांकनकर्ताओं को छात्रों का ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रदान किया गया। छात्रों के शिक्षण स्तर की प्रतिनिधिक समझ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक रूप से पांच छात्रों का चयन किया गया। यह देखा गया कि प्राथमिक स्तर के छात्रों को बुनियादी साक्षरता और अंकीय कौशल प्राप्त करने में कठिनाई होती है जिसमें उच्चतर कक्षाओं में शिक्षण परिणाम कम रहे। इसलिए, केवल भाषा और गणित में कौशल की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, समय की कमी के कारण केवल दो विषयों का मूल्यांकन किया गया।

2.2.5 मूल्यांकन हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग

प्रश्नावली को सफल रूप से तैयार करने के बाद, एक समुचित डाटा संग्रहण मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया और सभी प्रश्नों को इस एप्लीकेशन से जोड़ा गया। कागज आधारित सर्वेक्षण के बजाए डाटा संग्रहण एप्लीकेशन के उपयोग का उद्देश्य परिणामों में त्रुटियों और विसंगतियों की संभावना को कम करना था क्योंकि इससे क्यूसीआई संग्रह किए गए आंकड़े की रियल-टाइम मानीटरिंग करने में सक्षम हुआ। सर्वेक्षणों को निष्पादित करने के लिए प्रत्येक सर्वेक्षक और क्यूसीआई समीक्षक ने अपने मोबाइल डिवाइस पर इस एप्लीकेशन को लगाया और लॉग इन क्रेडेंसियल प्रदान किया गया। सर्वेक्षकों को एप्लीकेशनऔर मोबाइल डिवाइस का विवेकपूर्ण और सक्षमता से उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया।

2.2.6 मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन

अलग-अलग मूल्यांकनकर्ताओं का मोबिलाइजेशन चयन किए गए नमूना राज्यों पर आधारित था। मूल्यांकनकर्ताओं का चयन उनकी शिक्षा योग्यता, क्षेत्रीय भाषा में निपुणता, शिक्षा के क्षेत्र में संगत अनुभव और प्रशिक्षण में कार्य निष्पादन पर आधारित था। मूल्यांकनकर्ताओं का प्रशिक्षण जनवरी, 2022 के दूसरे और तीसरे सप्ताह में किया गया। प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को क्यूसीआई के अधिकारियों द्वारा दो दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण दिया गया। व्यापक मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण का मॉड्यूल में इन्टरेक्टिव घटक शामिल थे जिनमें क्विज, सिमूलेशन क्रियाकलाप आदि शामिल थे ताकि सर्वेक्षण के उद्देश्यों की गहरी समझ प्राप्त हो सके। प्रशिक्षण सामग्री में मानक प्रचालन प्रक्रियाएं, दिशानिर्देश, शिक्षा स्वयंसेवियों (शिक्षकों) का साक्षात्कार शामिल था ताकि उनकी पृष्ठभूमि, मौजूदा मुद्दों, छात्र के प्रोफाइल, विशेष शिक्षण सहायता सामग्री (एसएलएमएस), शिक्षा विज्ञान की प्रक्रिया, रिकॉर्ड जैसे उपस्थिति रिकॉर्ड, प्रवेश-निकास की तारीख, मूल्यांकन रिपोर्ट छात्र प्रोफाइल आदि का रख-रखाव, परियोजना प्रभारी/निदेशक का साक्षात्कार लिया गया, मेन्स्ट्रीम और एनआरएसटीसी स्कूल का भी साक्षात्कार लिया गया ताकि स्कूलों में नामांकित बच्चों की कठिनाइयों को इन मुद्दों को दूर करने के लिए की गई पहलों को समझा जा सके। एसटीसी में पढाई कर रहे या पढाई कर चुके गई छात्रों का साक्षात्कार हुआ जिससे बाधाओं के बावजूद शिक्षा जारी रखने का धैर्य प्रदर्शित हुआ। संवेदनशील मुद्दों के बारे में भी जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए समझ प्राप्त की गई।

अंतिम मूल्यांकनकर्ताओं का चयन करने के लिए प्रशिक्षण के बाद एक परीक्षा आयोजित की गई जो मूल्यांकनकर्ता ऑन

फील्ड मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

2.2.7 मौके पर मूल्यांकन

86 जिलों के सभी परियोजना निदेशकों से संपर्क करने से प्राप्त आंकडों की समीक्षा करने के बाद,यह देखा गया कि केवल 20 जिलों में कार्यशील एसटीसी थे और वे फील्ड मूल्यांकन के लिए तैयार थे तथा 59 जिलों के एसटीसी कार्यशील नहीं थे और इसलिए वे फील्ड मूल्यांकन के लिए तैयार नहीं थे।
दिनांक 17 जनवरी, 2022 से 10 फरवरी, 2022 तक, 8 राज्यों में 10 मूल्यांकनकर्ताओं की टीम ने 16 मूल्यांकन किए।

प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता ने अपने क्षेत्र में सभी एसटीसी का मूल्यांकन पूरा करने के लिए एक से दो दिन एक जिले का दौरा किया। मूल्यांकनकर्ताओं ने मौके पर दौरा करने के दौरान निम्निलखित कार्य निष्पादित किए:

- मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रभारी परियोजना सोसाइटी/निदेशक का साक्षात्कार लिया गया।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं अर्थात बिजली, क्रॉस वेंटिलेशन, रनिंग वाटर, टॉर्मिटरीज, खेल के मैदानों, चार दिवारी आदि का अवलोकन।
- एप्लीकेशन में प्रदर्शित प्रश्न मूल्यांकनर्ता द्वारा वहां स्थिति के आधार पर दिए गए उत्तर।
- गणित और भाषा विषयों में आयु समूह उपयुक्त मेन्स्ट्रीमिंग लक्ष्यों के आधार पर टेस्ट का उपयोग करके बच्चों के शिक्षण स्तर का मूल्यांकन।

शिक्षा स्वयंसेवियों (शिक्षकों) की पृष्ठभूमि, मौजूदा मुद्दों को जानने के लिए उनका साक्षात्कार किया गया। ये टेस्ट पेपर्स कोडिंग और करेक्शन के लिए क्यूसीआई टीम को भेज गेए। प्रशिक्षण सामग्री में मानक प्रचालन प्रक्रियाएं, दिशानिर्देश, शिक्षा स्वयंसेवियों (शिक्षकों) का साक्षात्कार शामिल था ताकि उनकी पृष्ठभूमि, मौजूदा मुद्दों, छात्र के प्रोफाइल, विशेष शिक्षण सहायता सामग्री (एसएलएमएस), शिक्षा विज्ञान की प्रक्रिया, रिकॉर्ड जैसे उपस्थिति रिकॉर्ड, प्रवेश-निकास की तारीख, मूल्यांकन रिपोर्ट छात्र प्रोफाइल आदि का रख-रखाव, परियोजना प्रभारी/निदेशक का साक्षात्कार लिया गया, मेन्स्ट्रीम और एनआरएसटीसी स्कूल का भी साक्षात्कार लिया गया ताकि स्कूलों में नामांकित बच्चों की कठिनाइयों को इन मुद्दों को दूर करने के लिए की गई पहलों को समझा जा सके। एसटीसी में पढाई कर रहे या पढाई कर चुके गई छात्रों का साक्षात्कार हुआ जिससे बाधाओं के बावजूद शिक्षा जारी रखने का धैर्य

प्रदर्शित हुआ।

2.2.8 गुणवत्ता जांच

क्यूसीआई के अधिकारियों ने सभी मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त सूचना की लाइव मॉनीटरिंग की। किसी विसंगति की स्थिति में, मूल्यांकनकर्ता के एसटीसी से जाने से पहले उनको रियल-टाइम फीडबैक दिया गया। भाषा, प्रश्न, समझ, प्राधिकारियों के नाम से संबंधित मुद्दों का तत्काल निराकरण किया गया। दस्तावेजों यथा प्रवेश-निकास रिकॉर्ड, उपस्थिति रिकॉर्ड, प्रबंधन समिति के बैठक का रिकॉर्ड, माता-पिता और शिक्षक के बीच बैठक के रिकॉर्ड, आंकड़े के सावधानीपूर्वक गुणवत्ता जांच से यह सुनिश्चित हुआ कि फील्ड से प्राप्त सूचना वैध और प्रयोज्य थी।

[2] ***Please refer to Annexure - I and II for the detailed tables.***

फील्ड मूल्यांकन के लिए जिलों की सूची

S.no	District	State
1	Kurnool	Andhra Pradesh
2	Nagaon	Assam
3	Kamrup Metropolitan	Assam
4	Jamui	Bihar
5	Gurugram	Haryana
6	Shajapur	Madhya Pradesh
7	Gwalior	Madhya Pradesh
8	Parbhani	Maharashtra
9	Thane	Maharashtra
10	Mumbai Suburban	Maharashtra
11	Nanded	Maharashtra
12	Jalandhar	Punjab
13	Ludhiana	Punjab
14	Virudhunagar	Tamil Nadu
15	Krishnagiri	Tamil Nadu
16	Erode	Tamil Nadu
17	Salem	Tamil Nadu
18	Mahbubnagar	Telangana
19	Dakshin Dinajpur	West Bengal
20	Alipurduar	West Bengal

Table 1

3. निष्कर्ष

परियोजना निदेशक
स्वयंसेवी शिक्षक विशेष
प्रशिक्षण केंद्र

आंध्र प्रदेश

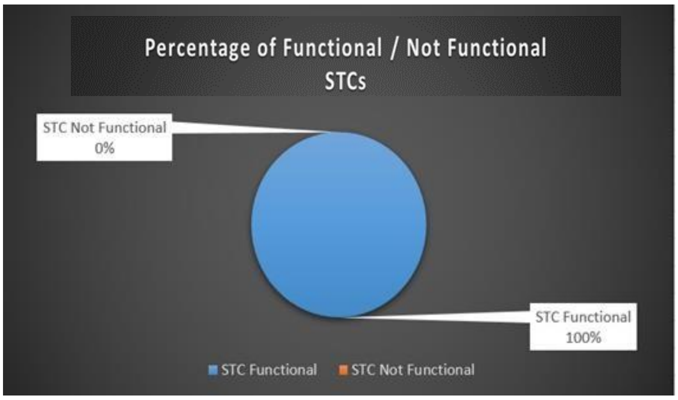

Figure 1

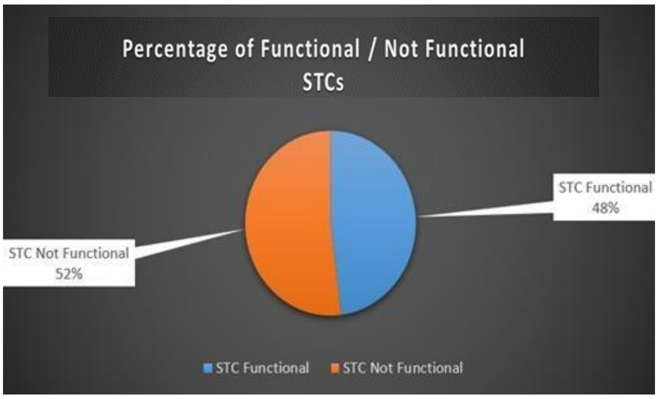

Figure 2

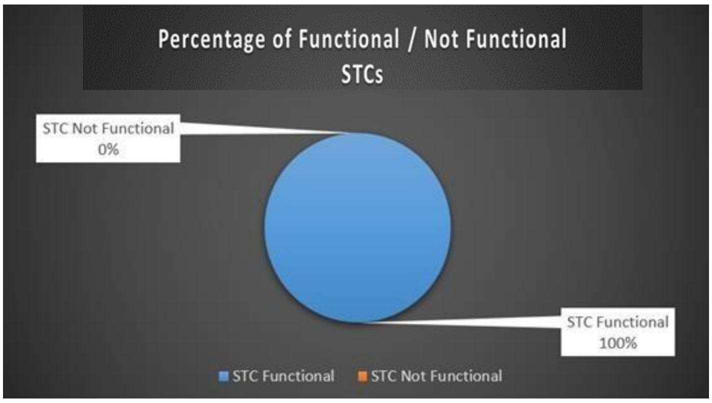

Figure 3

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधार भूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/ परियोजना सोसाइटी/ अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
कृष्ण (आकृति 1)	15	0	348	15- गैर सरकारी संगठन	455	प्रदान नहीं किया गया	28
एसपीए सआर	29	15	2736	29- गैर	707	243	58

नेल्लोर (आकृति 2)				सरकारी संगठन			
श्रीसाईकुलम (आकृति 3)	26	0	1039	26- गैर सरकारी संगठन	623	प्रदान नहीं किया गया	39

बिहार

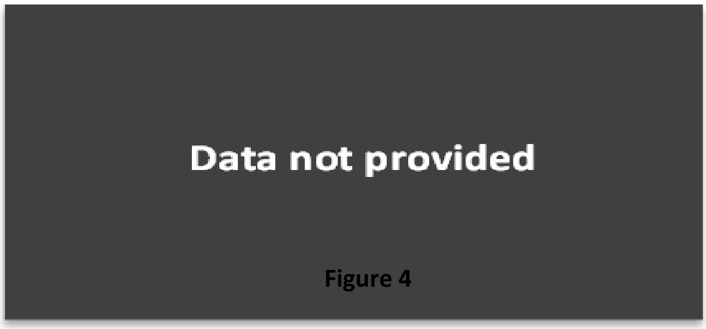

Figure 4

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधार भूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/परियोजना सोसाइटी/अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
जमुई (आकृति 4)	31	प्रदान नहीं किया गया	2024	31- गैर सरकारी संगठन	1600	1600	96

गुजरात

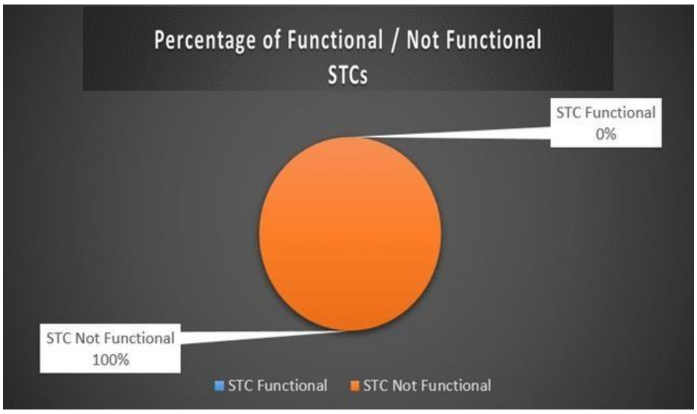

Figure 5

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/परियोजना सोसाइटी/अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
कच्छ (आकृति 5)	4	4	742	प्रदान नहीं किया गया	70	24	4

हरियाणा

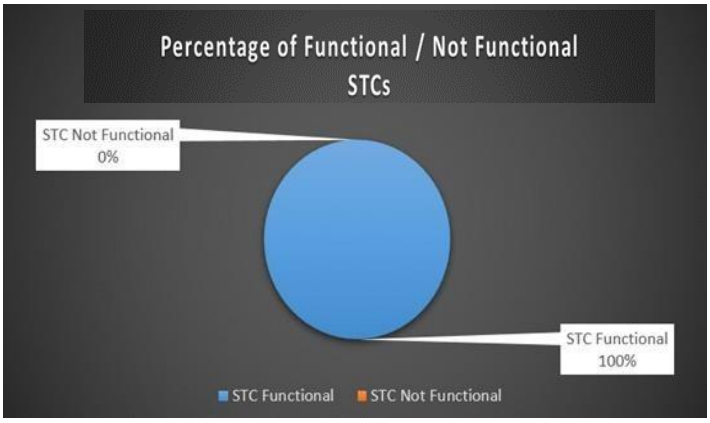

Figure 6

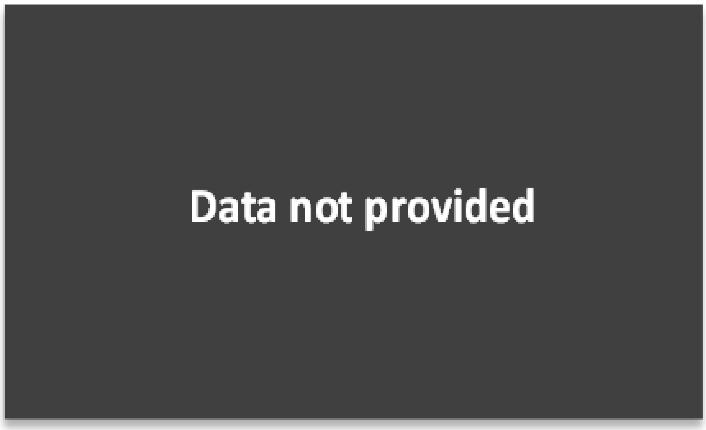

Figure 7

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/परियोजना सोसाइटी/अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
गुरुग्राम (गुड़गांव) (आकृति 6)	26	0	प्रदान नहीं किया गया	26- गैर सरकारी संगठन	1219	6183	52
फरीदाबाद (आकृति 7)	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	1245	प्रदान नहीं किया	1500	90	प्रदान नहीं किया

				गया			गया

कनार्टक

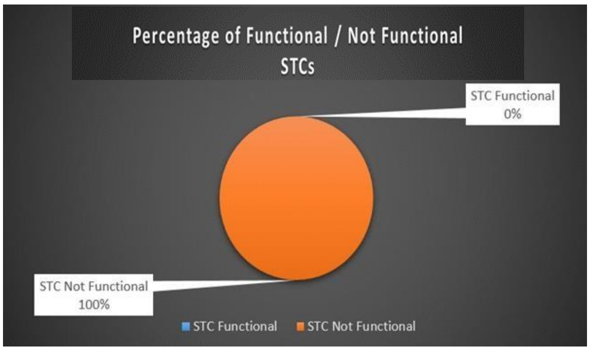

Figure 8

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/ परियोजना सोसाइटी/ अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
बेलागवी (आकृति 8)	1	1	879	प्रदान नहीं किया गया	17	72	2

मध्य प्रदेश

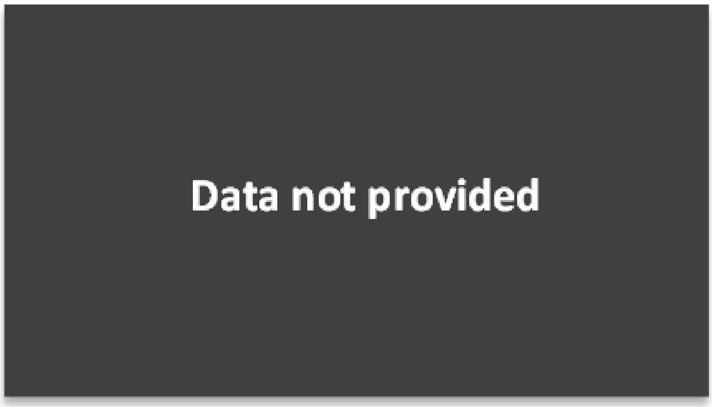

Figure 9

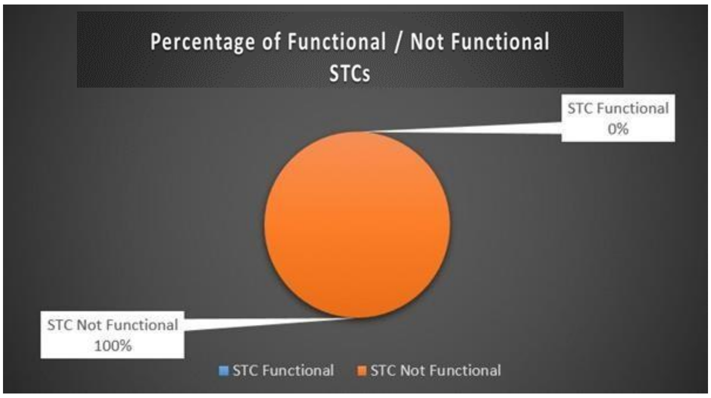

Figure 10

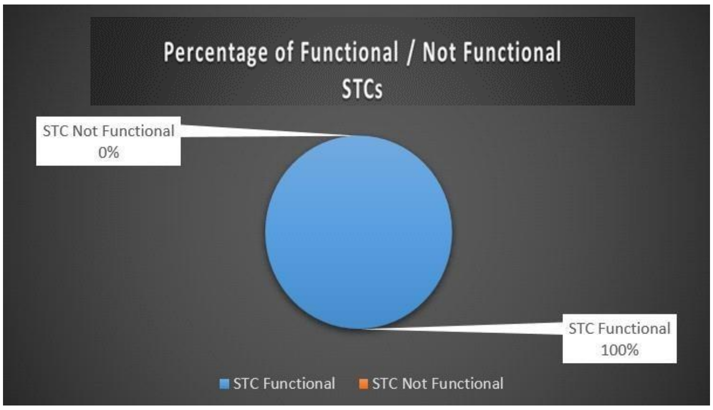

Figure 11

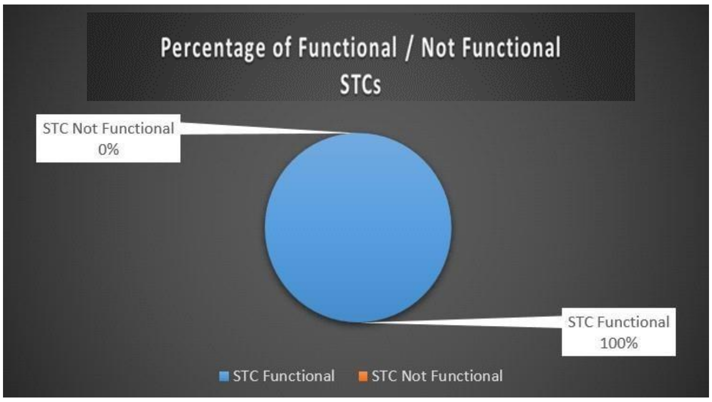

Figure 12

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/परियोजना सोसाइटी/अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
बड़वानी (आकृति 9)	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	897	प्रदान नहीं किया गया
ग्वालियर (आकृति 10)	32	32	प्रदान नहीं किया गया	32- गैर सरकारी संगठन	940	687	60
रीवा (आकृति 11)	39	0	2994	39- गैर सरकारी संगठन	1789	प्रदान नहीं किया गया	78

शाजापुर (आकृति 12)	15	0	307	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	310	21

महाराष्ट्र

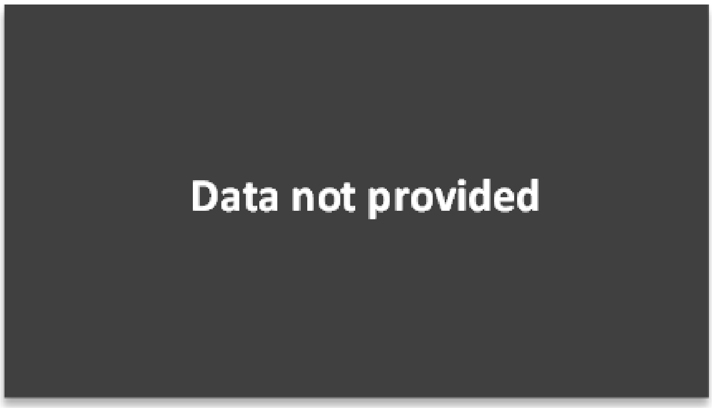

Figure 13

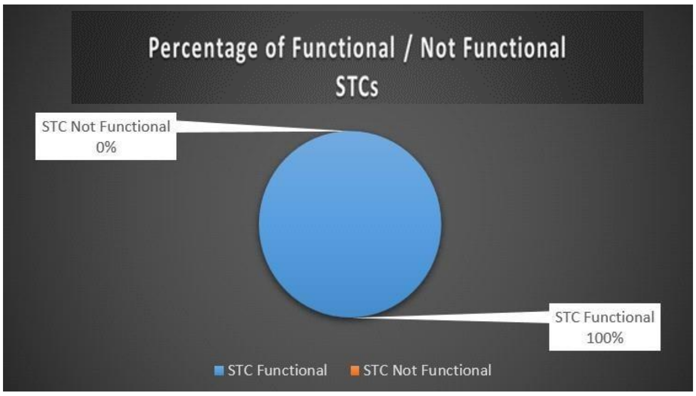

Figure 14

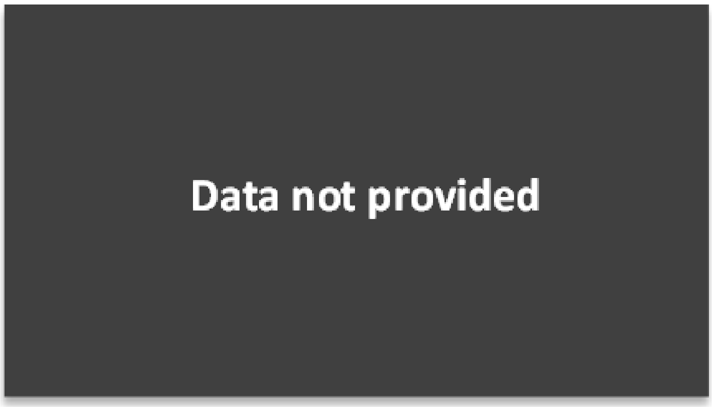

Figure 15

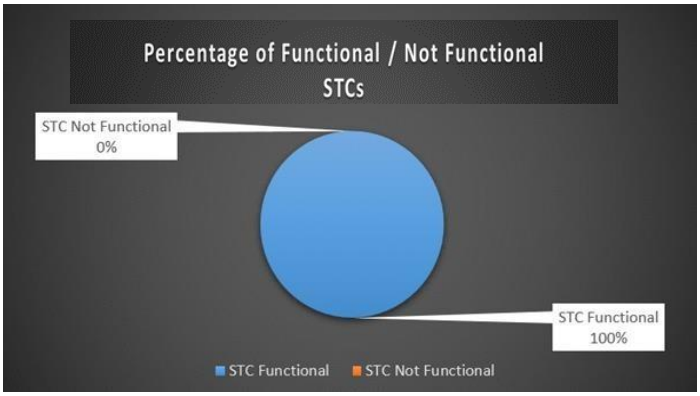

Figure 16

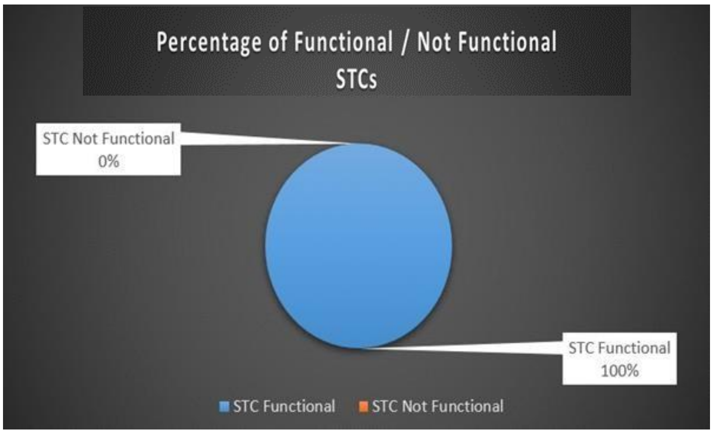

Figure 17

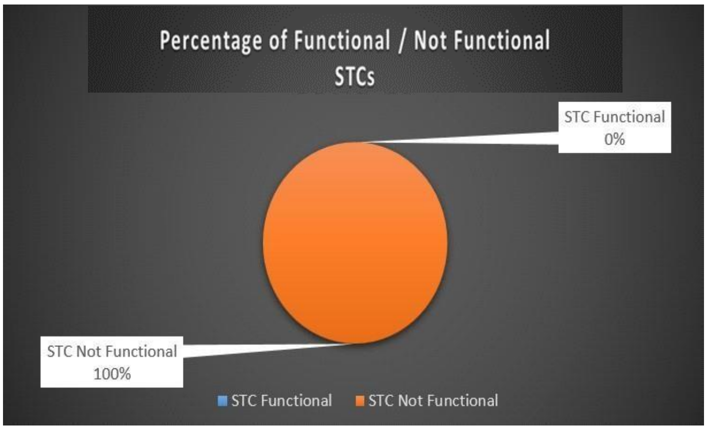

Figure 18

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/ परियोजना सोसाइटी/ अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
गोंदिया (आकृति 13)	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	245	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया
बीड (आकृति 14)	21	0	823	21-NGO	818	409	84
जलगांव (आकृति 15)	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	5073	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	4208	प्रदान नहीं किया गया
परभनी (आकृति 16)	21	0	1187	21- गैर सरकारी संगठन	949	4090	42
मुंबई उप नगरीय (आकृति 17)	6	0	142	6- गैर सरकारी संगठन	142	प्रदान नहीं किया गया	12
नासिक (आकृति 18)	24	24	3219	प्रदान नहीं किया गया	751	736	36

ओडिशा

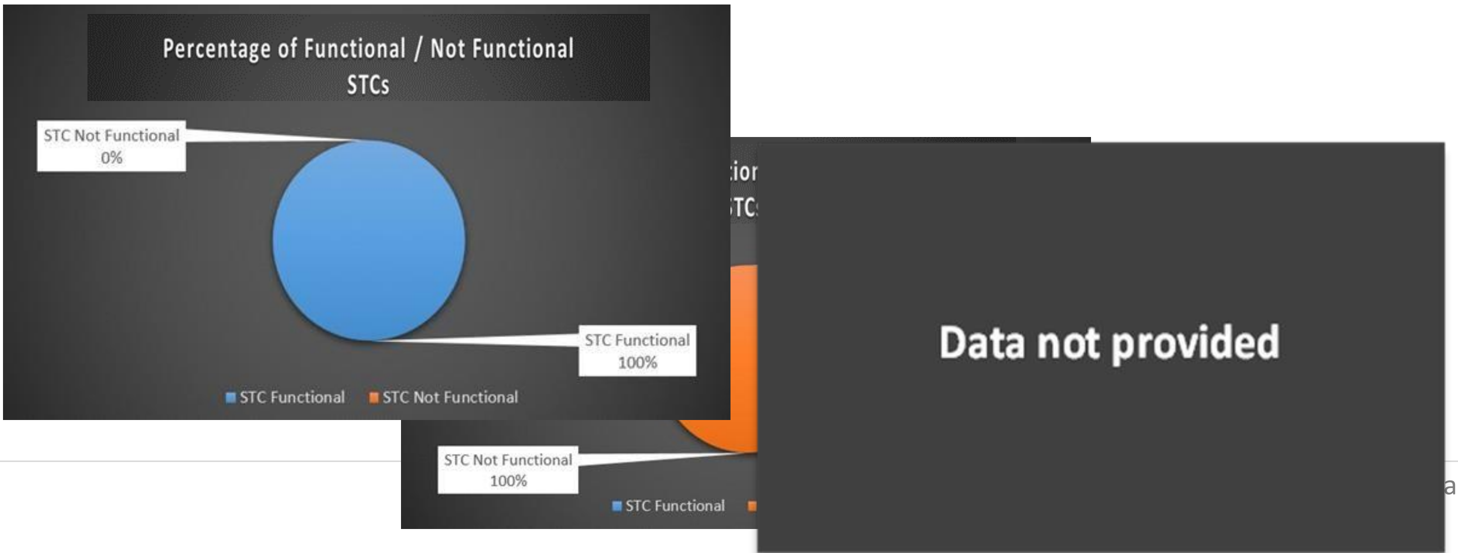

Figure 20

Figure 19

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/परियोजना सोसाइटी/अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
संदरगढ़ (Figure 19)	28	0	869	28-परियोजना सोसाइटी	632	6335	56
BALASORE (Figure 20)	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया	5845	प्रदान नहीं किया गया
Kalahandi (Figure 21)	47	47	प्रदान नहीं किया गया	47-NGO	1736	प्रदान नहीं किया गया	प्रदान नहीं किया गया

PUNJAB

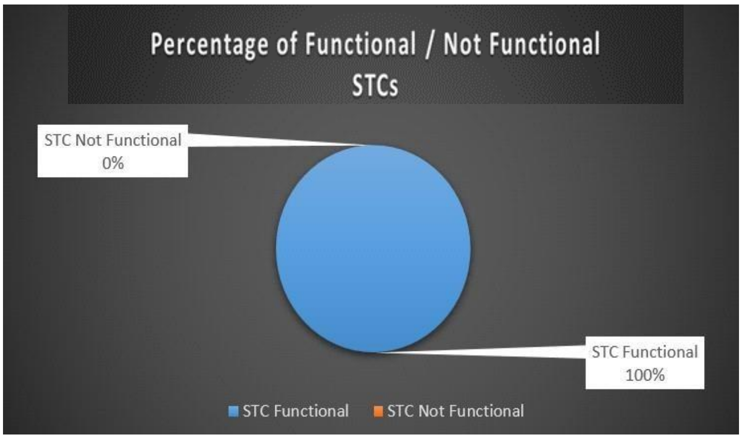

Figure 22

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं,	आधार भूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों	एनजीओ/परियोजना सोसाइटी/अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या

		की संख्या	की संख्या				
Jalandhar (Figure 22)	27	0	5361	27-NGO	1261	220	54

TAMIL NADU

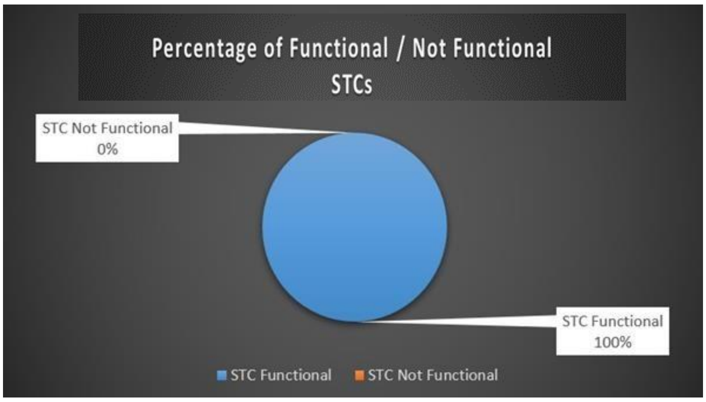

Figure 23

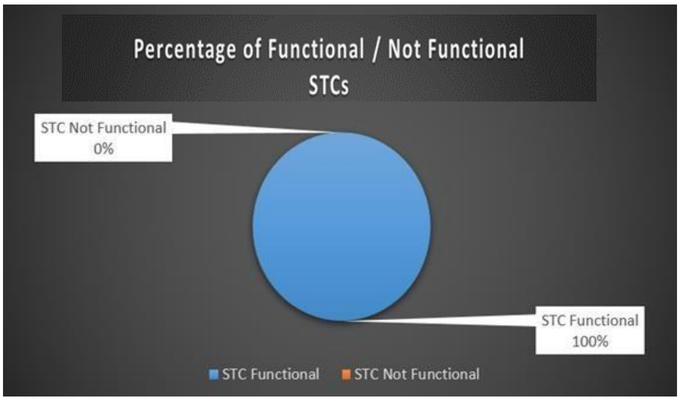

Figure 24

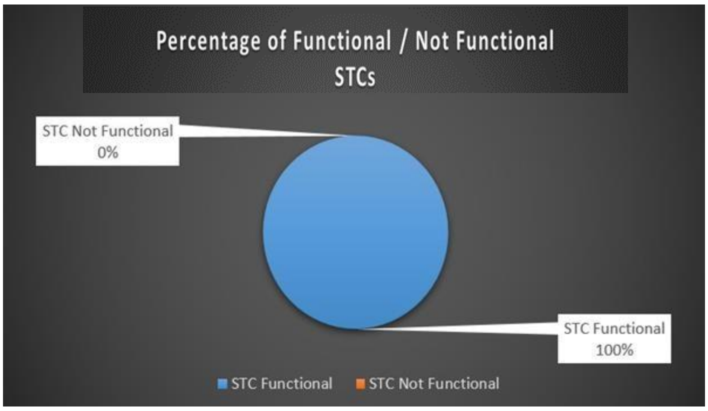

Figure 25

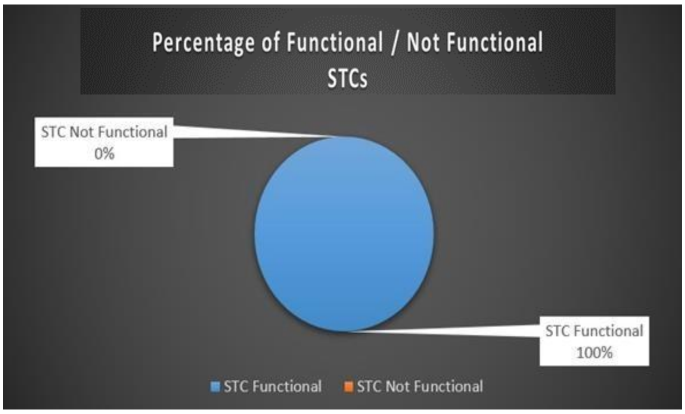

Figure 26

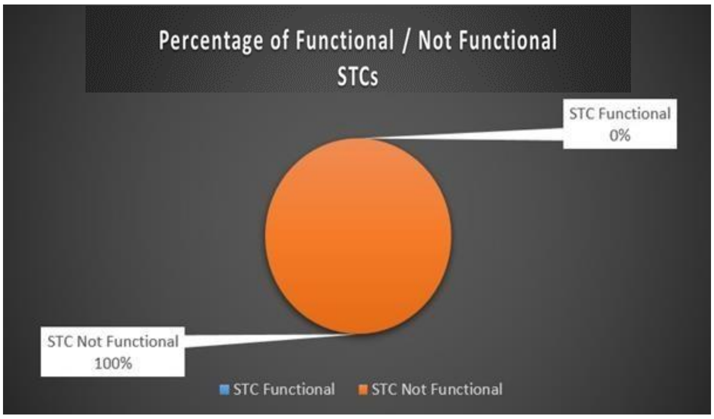

Figure 27

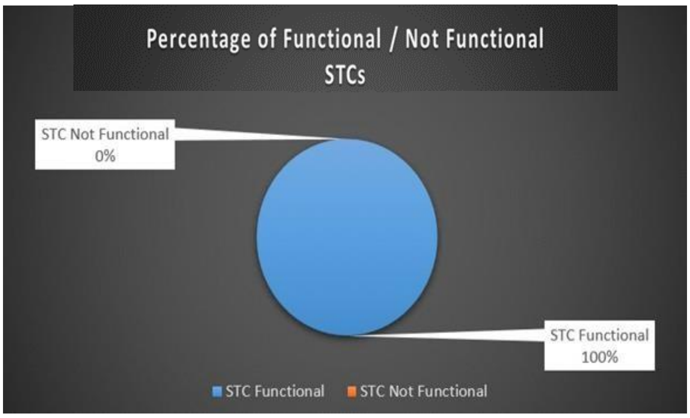

Figure 28

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/परियोजना सोसाइटी/अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
Vellore (Figure 23)	37	0	678	37- Project Society	678	306	37
Dharmapuri (Figure 24)	22	0	785	22- Project Society	643	750	24
Erode (Figure 25)	15	0	1400	15-NGO	301	44	24
Krishnagiri (Figure 26)	20	0	724	20- Project Society	605	20	20
Kanchipuram (Figure 27)	28	2 8	2894	28- Project Society	713	416	Not Provided
Virudhunagar (Figure 28)	21	0	385	9-NGO 12- Project Society	369	146	44

TELANGANA

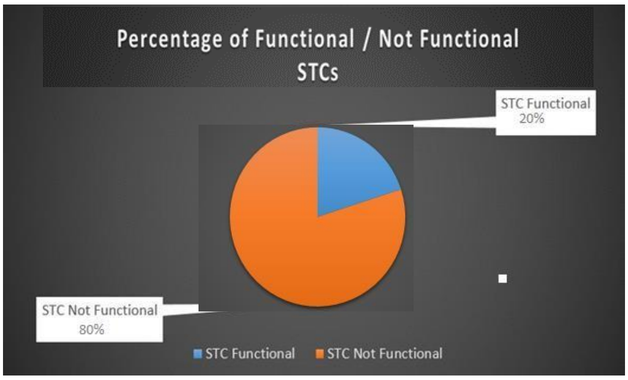

Figure 29

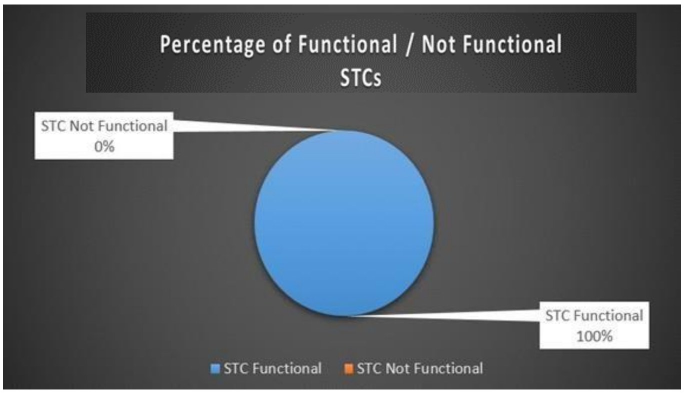

Figure 30

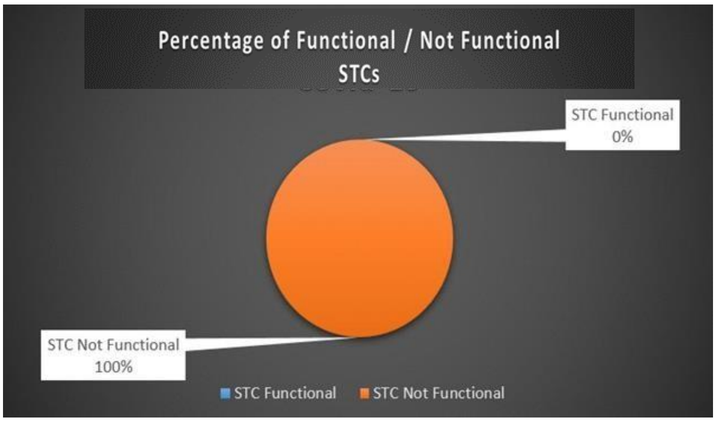

Figure 31

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/परियोजना सोसाइटी/अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
MAHABUBNAGAR (Figure 29)	5	4	Not Provided	5-NGO	108	Not Provided	9

Mahbubabad (Figure 30)	5	0	Not Provided	5- Project Society	108	31	9
Rangareddy (Figure 31)	27	27	775	Not provided	1008	268	52

UTTAR PRADESH

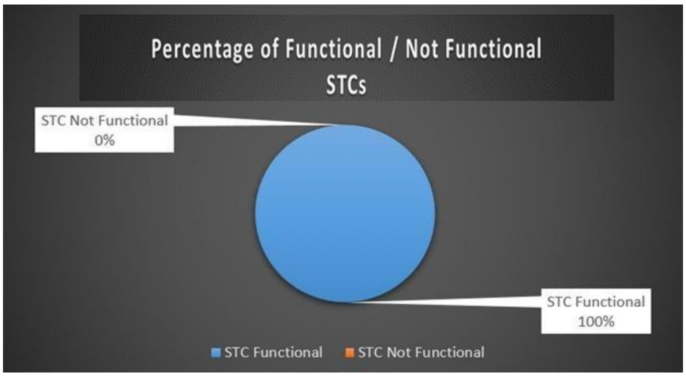

Figure 32

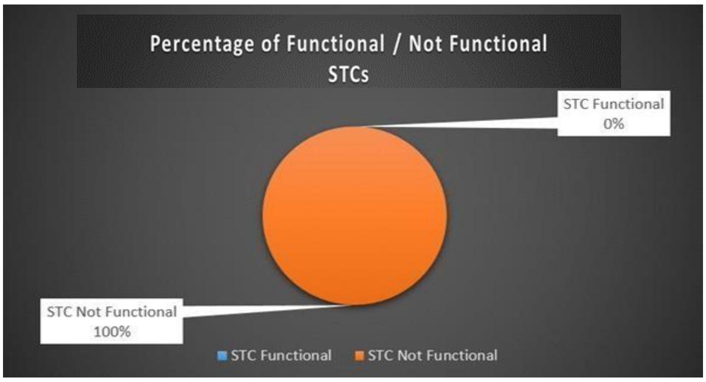

Figure 33

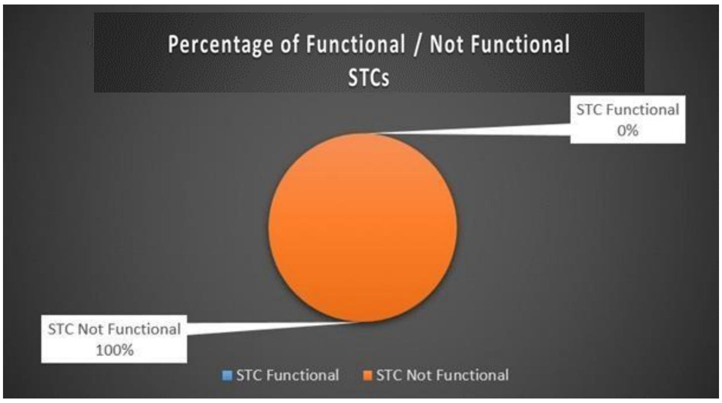

Figure 34

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/ परियोजना सोसाइटी/ अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
PRATAPGARH (Figure 32)	40	0	Not Provided	40-NGO	1166	Not Provided	Not Provided
ALIGARH (Figure 33)	40	40	4642	40-NGO	2000	1989	80
Raebareili (Figure 34)	23	23	535	Not Provided	692	Not Provided	Not Provided

UTTARAKHAND

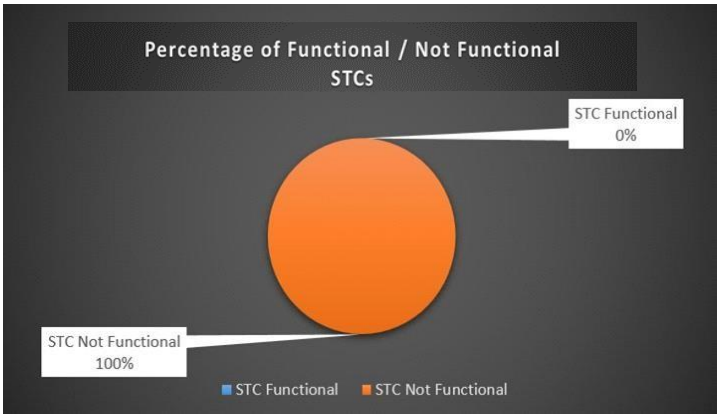

Figure 35

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ /परियोजना सोसाइटी /अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
Dehradun (Figure 35)	5	5	1222	5-NGO	83	48	6

WEST BENGAL

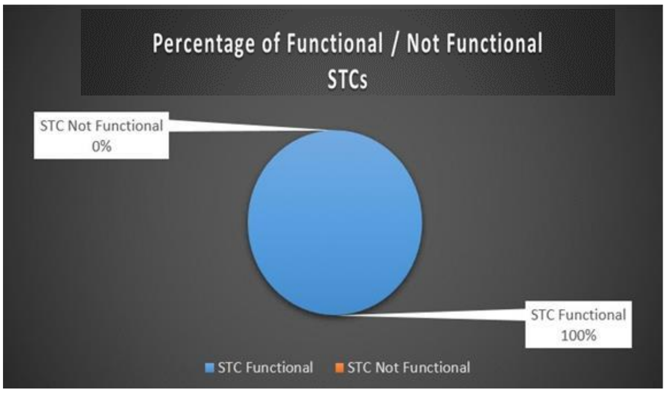

Figure 36

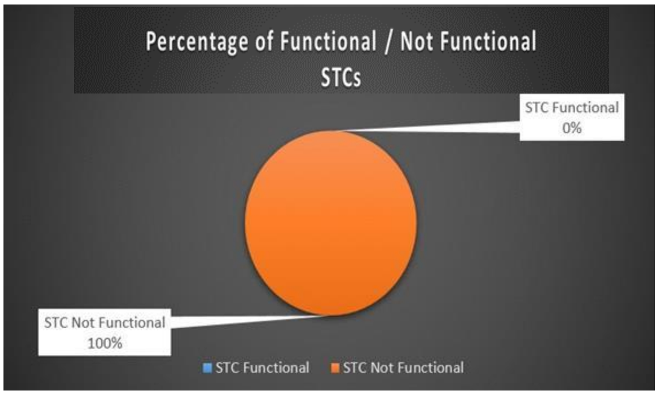

Figure 37

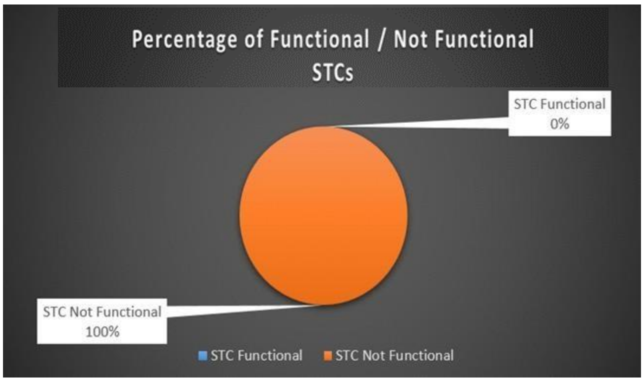

Figure 38

जिला	एसटीसी की संख्या	एसटीसी जो कार्यशील नहीं हैं, की संख्या	आधारभूत सर्वेक्षण में पहचाने गए बच्चों की संख्या	एनजीओ/ परियोजना सोसाइटी/ अन्य एसटीसी एन	एसटीसी में पढ़ाई कर रहे बच्चों की संख्या 2019-20	ऐसे बच्चों की संख्या जो मुख्यधारा शिक्षा में शामिल हुए	स्वयंसेवी शिक्षकों की संख्या
Dakshin Dinajpur (Figure 36)	17	0	1620	17-NGO	547	Not Provided	32
Nadia (Figure 37)	100	100	Not Provided	100-NGO	3024	11795	200
UTTAR DINAJPUR (Figure 38)	39	39	11303	39-NGO	1777	Not Provided	78